न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:– 60 / 2024

रोशन लाल यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा, अधिकारी, अलवर।
–आवेदक

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री दयानन्द यादव, उम्र 34 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) मैसर्स श्री कुष्णा हुष्णा सरस ऐजेन्सी, मैन चौराहा, बहरोड निवासी रियाली, बहरोड।

2. श्रीमती माया देवी पत्नी श्री जसवन्त सिंह (मालिक) मैसर्स श्री कुष्णा सरस ऐजेन्सी, मैन चौराहा, बहरोड निवासी रिवाली, बहरोड।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii), 26 (2)(v)/धारा 51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 30/4/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रोशन लाल यादव द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.12.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 09 मार्च 2023 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 26 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने को लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2023/900 दिनांक 29.03.2023 एवं आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि./संस्था/2023/660 दिनांक 16.03.2024 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह है कि दिनांक 14.12.2024 को बाद दोपहर 12.10 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थो की चौकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स श्री कृष्णा सरस ऐजेन्सी, मैन चौराहा, बहरोड निवासी रिवाली, बहरोड स्थित पर पहुँचा। उक्त स्थल पर विक्रेता श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री दयानन्द यादव स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ पनीर आमजन को विकी वास्ते रखा हुआ था। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री विकास कुमार एवं श्री हेमन्त यादव की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री दयानन्द यादव, उम्र 34 वर्ष मैसर्स श्री कृष्णा सरस ऐजेन्सी, मैन चौराहा, बहरोड निवासी रिवाली, बहरोड का होना बताया एवं श्रीमती माया देवी को उक्त फर्म का मालिक होना बताया एवं मौके पर स्वयं के एवं मालिक के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत कि जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैंने उक्त विक्रेता से खादय पदार्थ विक्र अनुज्ञापत्र/रजिस्टेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन पत्र होना जाहिर किया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर एक डीप फ्रीज में स्टील की है में रखे करीब 5 किलो पनीर में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री विकास कुमार एवं श्री हेमन्त कुमार यादव की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त पनीर में से 1 किलो पनीर वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखे एवं खाली स्टील की ट्रे में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 300/-(अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलो पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 20-20 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी-19565 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर

अति. जिला कलक्टर

स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढ़ाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं0 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त पनीर के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 146 दिनांक 16.03.2024 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. शि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक एवं बाहय खाद्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & contains extrenous matter) होना पाया जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 442 दिनांक 31.5.24 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा अवमानक एवं बाहय खाद्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & contains extrenous matter) पनीर की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii), 26(2) (v) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को रजिस्डर्ड नोटिस जारी किये गये। बाद तामिल अप्रार्थी संख्या एक उपस्थित

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

आया। अप्रार्थी को जबाब एवं उपस्थित होने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे इसलिए अप्रार्थीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का बहस हेतु नियत की गई।

12. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अवमानक एवं बाहय खाद्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में दण्डित किया जावें।

13. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्राथी/अभियुक्त द्वारा अवमानक एवं बाहय खाद्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & contains extrenous matter) पनीर की बिक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 एवं 54 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्रीमती माया देवी पत्नी श्री जसवन्त सिंह (मालिक) मैसर्स श्री कुष्णा सरस ऐजेन्सी, मैन चौराहा, बहरोड निवासी रिवाली, बहरोड पर 5000/- पाँच हजार मात्र ....शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30-4-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़ (जिला कलेक्टर)
कोटपूतली